बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 15 दिसंबर 2021 बुधवार

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए सूचना

यह सूचना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है। नियमावली में *अन्य बातों के साथ–साथ* यह निर्धारित है कि उन सभी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना अपेक्षित है, जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है।

तद्नुसार, उन सभी शेयरधारकों के वर्तमान मौजूद पतों पर कंपनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे गए हैं, जिनके शेयर, 2014–15 के अन्तरिम लाभांश से निरंतर दावा न की गई लाभांश राशि के कारण आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं। यह उल्लेख करना संगत है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरिम लाभांश से संबंधित अप्रदत्त/दावा न की गई राशि के अंतरण की देय तिथि **15 मार्च, 2022** है।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट **www.recindia.nic.in** पर इन्वेस्टर टैब के अंतर्गत उन शेयरधारकों के ब्यौरे अपलोड भी किए हैं, जिनकी दावा न की गई राशि अथवा इक्विटी शेयर, प्राधिकरण को अंतरित करने के लिए देय हैं और शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया इसे देख लें। इसके अतिरिक्त, शेयर चाहे भौतिक रूप में धारित हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, समय–समय पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाएंगे। यह भी सूचित किया जाता है कि शेयरों पर होने वाले सभी लाभों सहित, प्राधिकरण को अंतरित दावा न किए गए लाभांश और तद्नुरूपी शेयरों, यदि हैं, की वापसी का दावा आईईपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जा सकता है।

यदि संबंधित शेयरधारकों से अपेक्षित दस्तावेज **15 मार्च, 2022** अर्थात 2014–15 के अप्रदत्त/दावा न किए गए अन्तरिम लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने की देय तारीख तक प्राप्त नहीं होते हैं, तो सात वर्ष पूरा होने पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अन्तरिम लाभांश की अप्रदत्त राशि के साथ इक्विटी शेयर बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित, दावा न की गई लाभांश राशि और/अथवा इक्विटी शेयरों के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

उपर्युक्त विषय के संबंध में किसी स्पष्टीकरण अथवा पूछताछ के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे श्री अनिकेत कुलश्रेष्ठ, मुख्य प्रबंधक दूरभाष सं. 011–271 5525 || ई–मेल आईडी: **aniket@recl.in** अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए): श्री एस. वी. राजू, उप महाप्रबंधक, मैसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., यूनिट: आरईसी लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गॉचीबॉली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 || दूरभाष संख्या: 040–67161569 ईमेल: **raju.sv@kfintech.com** || वेबसाइट: **www.kfintech.com** पर संपर्क करें।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/–
(जे.एस. अमिताभ)
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 14 दिसम्बर, 2021

एन.बी.: सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 और इसके बाद के वर्षों के लिए अंतरिम लाभांश के संबंध में, भुगतान न की गई/दावा न की गई लाभांश राशि, यदि कोई है, का दावा करने के लिए कृपया कंपनी के आर एंड टीए मैसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., यूनिट: आरईसी लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गॉचीबॉली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 से अनुरोध करें अथवा दूरभाष संख्या +91 40 67161569/1571 पर संपर्क करें अथवा ***balaji.reddy@kfintech.com/einward.ris@kfintech.com/complianceofficer@recl.in.*** *पर ईमेल करें। आईईपीएफ में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अंतरिम लाभांश की भुगतान न की गई/दावा न की गई राशि, मार्च, 2022 में अंतरित करने के लिए देय है।*

पंजीकृत कार्यालय:
कोर–4, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 **फोन:** +91-11-43091500
कॉरपोरेट कार्यालय:
प्लॉट नं. आई–4, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा–122001 **फोन:** +91-124-4441300
ई–मेल: complianceofficer@recl.in **वेबसाइट:** www.recindia.nic.in

Business Standard NEW DELHI | WEDNESDAY, 15 DECEMB

REC Limited (A Government of India Enterprise)

CIN: L40101DL1969GOI005095

NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The rules *inter-alia* prescribe that all shares in respect of which dividend has been unpaid/unclaimed for seven consecutive years, are required to be transferred to the demat account of IEPF Authority.

Accordingly, individual communications have been sent by the Company at the latest available address of those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, on account of unclaimed dividend amounts consecutively since interim dividend 2014-15. It is pertinent to mention that the due date for transfer of unpaid/unclaimed amount relating to interim dividend for the financial year 2014-15 to IEPF Authority is **March 15, 2022.**

The Company has also uploaded the details of the shareholders whose unclaimed dividend amounts or equity shares are due for transfer to Authority under the Investors Tab on its website at **www.recindia.nic.in** and the shareholders are requested to refer the same. Further, the shares, whether held in physical or electronic form, will be transferred to IEPF Authority in accordance with the procedure notified by MCA, from time to time. It is also informed that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefit(s) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules.

In case, requisite documents from the concerned shareholders are not received on or before **March 15, 2022,** i.e. the due date for transfer of unpaid/unclaimed interim dividend 2014-15 to IEPF Authority, the equity shares along with the unpaid amount of interim dividend for the financial year 2014-15, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company *in respect of unclaimed dividend amount and equity shares* transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

For any clarification or queries on the above matter, shareholders are requested to contact Shri Aniket Kulshreshtha, Chief Manager Tel. No.: 0124-271 5525 || email ID: **aniket@recl.in** or Company's Registrar and Transfer Agent (R&TA): Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, M/s Kfin Technologies Pvt. Ltd., Unit : REC Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel. No.: 040-67161569 || email: **raju.sv@kfintech.com** website: **www.kfintech.com.**

For REC Limited
Sd/-
(J.S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Place: Gurugram
Date: December 14, 2021

N.B.** : Member(s) are advised to claim unpaid/unclaimed dividend amounts, if any, in respect of interim dividend for the financial year 2014-15 and thereafter; by sending a request to M/s KFin Technologies Private Limited, R&TA of the Company, Unit: REC Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramgude, Hyderabad – 500 032 or call at Tel. No. +91 40 67161569/1571 or email at* ***balaji.reddy@kfintech.com/einward.ris@kfintech.com/complianceofficer@recl.in. *The unpaid / unclaimed amount of interim dividend for the financial year 2014-15 is due for transfer to IEPF in March, 2022.*

Registered Office:
Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003 **Tel.:** +91-11-43091500
Corporate Office:
Plot No. I-4, Sector-29, Gurugram, Haryana-122001 **Tel.:** +91-124-4441300
E-mail: complianceofficer@recl.in **Website:** www.recindia.nic.in